राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–64/2012/अजमेर

1. श्री जयकिशन संभवानी पुत्र श्री हीरानंद संभवानी
2. श्रीमती दीपा संभवानी पत्नी श्री जयकिशन संभवानी

जाति सिंधी निवासी–जी 70–ए–जी ब्लॉक, माकडवाली रोड, अजमेर

प्रार्थीगण.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–65/2012/अजमेर

1. श्री मोहन कुमार पुत्र थावरदास
2. श्रीमती हर्षा पत्नी श्री मोहन कुमार
3. श्री कमल कुमार पुत्र श्री मोहन कुमार
4. श्रीमती रिया पत्नी श्री कमल कुमार

जाति सिंधी निवासी–शान्ति पारा दिबरूगढ (आसाम) जरिये मुख्तयारनाम श्री जयकिशन संभवानी निवासी जी 70–ए–जी ब्लॉक, माकडवाली रोड, अजमेर

प्रार्थीगण.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जी.एस.लखावत
अभिभाषक। .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.06.2016

1. यह दोनों विविध प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर (जिसे आगे **'मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी'** कहा गया है) द्वारा पारित निर्णय निगरानी संख्या 1844/2005/अजमेर एवं 1841/2005 /अजमेर निर्णय दिनांक 02.05.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक कर अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 52 सपठित धारा 47(1) के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. इन दोनों विविध प्रार्थना पत्रों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य इस संक्षेप में निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण ने स्वयं को (1) श्रीमती गंगादेवी पत्नि स्व0 लालचन्द (2) श्री किशोर कुमार व ललित कुमार पुत्रगण स्व0 लालचन्द तथा (3)ललिता धर्मपत्नी श्री दौलतराम व पुत्री स्व0 श्री लालचन्द जाति सिंघी निवासीगण मकान नं. 3 जीवन दीप कॉलोनी, अजमेर के आम मुख्त्यारनामा होल्डर घोषित करते हुए, आम मुखत्यारनामा दिनांक 11.9.2002 को निष्पादित कराया। प्रार्थीगण ने इसी आम मुख्त्यारनामे के आधार पर अपना आवासीय भवन 3, जीवनदीप कॉलोनी, आनासागर सर्क्यूलर रोड़, वैशाली नगर, अजमेर क्षेत्रफल 216 वर्गगज का बेचान दिनांक 18.7.2003 को (1) श्री मोहन कुमार पुत्र थावर दास (2) श्रीमती हर्षा धर्मपत्नि श्री मोहन कुमार (3) श्री कमल कुमार पुत्र मोहन कुमार तथा (4) श्रीमती रीया धर्मपत्नि कमल कुमार को तादादी 5,00,000/–में करते हुए विक्रयनामा उप पंजीयक वास्ते पंजीयन पेश करना बताया जिसे उप पंजीयक ने डी.एल.सी. दर अनुसार रू0 8,41,662/– मालियत मानते हुए मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क वसूल किये। उसके बाद श्री हरि चन्दनानी निवासी 334/25 आशागंज अजमेर द्वारा एक शिकायत में इकरारनामा बाबत बेचान दिनांक 11.9.2002 तथा उसी तिथि को आम मुख्त्यारनामा की छाया प्रतियॉ पेश करते हुए, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को पेश कर जाहिर किया कि इकरानामा वास्ते बेचान में वर्णित भवन संख्या 3 जीवन दीप कॉलोनी, आनासागर सर्क्यूलर रोड, अजमेर का बेचान रू0 12,00,000/– में किया जाकर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था जो कि कन्वेंस था लेकिन इस कन्वेंस दस्तावेज पर प्रार्थीगण द्वारा मुद्रांक शुल्क नहीं चुकाया गया बल्कि उसी तिथि 11.9.2002 को विक्रेता से स्वयं के पक्ष में आम मुख्तयारनामा लिखवाते हुए, मुद्रांक शुल्क की चोरी की है। अतिरिक्त महानिरीक्षक ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 47–ए(3) के तहत रेफरेंस प्रकरण दर्ज करते हुए, पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में सम्पत्ति की मालितय 12 लाख के आधार पर मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क का अपवंचन पाते हुए, निर्णय दिनांक 11.01.2005 से कमी मुद्रांक 1,32,000/–, कमी पंजीयन शुल्क रू0 12,000/– तथा शास्ति रू0 1,000/– आरोपित करते हुए निगराकारगण से कुल रू0 1,45,000/–वसूली के आदेश जारी किये। इन आदेशों के विरूद्ध निगरानियां प्रस्तुत करने पर माननीय एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 02.05.2012 द्वारा प्रार्थी की दोनों निगरानियां अस्वीकार की, जिनके विरूद्ध यह दोनों विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....3

5. प्रार्थीगण निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सम्पत्ति का हस्तान्तरण विक्रय विलेख के द्वारा होता है न कि विक्रय हेतु इकरारनामे से। शिकायतकर्ता ने इकरारनामा बाबत बेचान की छाया प्रति पेश की है जो कि निराधार है। जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **RBJ (19) 2012 Page 69** में निर्णीत किया है। यह भी कथन किया कि कलक्टर(मुद्रांक) ने मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं किये है जिसके अभाव में कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा अपनाई गई सारी प्रक्रिया अविधिक है जैसाकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने **RBJ (19) 2012 Page 103** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। यह भी कथन किया निगराकारों ने विवादित सम्पत्ति का विक्रय अन्य क्रेताओं को कर दिया था तथा उप पंजीयक ने विक्रय विलेख दिनांक 18.7.2003 को पंजीयन कर लौटा दिया था। उसके बाद शिकायत के आधार पर रेफरेंस प्रकरण दर्ज करना गलत है। एक ही बेचान पर दोहरा करारोपण मुद्रांक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तथाकथित इकरारनामे पर क्रेतागण के हस्ताक्षर नहीं है न ही यह इकरारनामा पंजीकृत है। इकरारनामे का निष्पादन प्रमाणित नहीं होता है। केवल संभावनाओं के आधार पर रेफरेंस प्रकरण दर्ज कर मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा शास्ति आरोपित की गई है जो कि विधिक भूल है। अतः प्रस्तुत दोनों विविध प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर कलक्टर मुद्रांक के आदेश दिनांक 11.01.2005 एवं कर बोर्ड के आदेश दिनांक 02.05.2012 को अपास्त किये जाने पर बल दिया।

6. अप्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर ऐतराज राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के तहत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को अपने संचेतन मस्तिष्क से किये गये निर्णय को परिशोधित/रिव्यू करने की शक्तियां प्रावधित नहीं है अतः उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य (Maintainable) नहीं है। गुणावगुण पर बहस करते हुए उन्होंने कथत किया कि निगराकारों ने दिनांक 11.9.2002 के इकरानामा बाबत बेचान के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा विक्रेता इकरारनामा निष्पादनकर्ता को विक्रय की पूर्ण राशि रू0 12,00,000/– चुका दी थी। यह तथ्य इकरारनामे से स्पष्ट है तथा 100/– के स्टाम्प पेपर पर लिखे इकरारनामा को नोटरी पब्लिक से तस्दीक भी करा लिया था। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क मान्य नहीं हो सकता कि कथित इकरारनामा पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण निष्पादित नहीं हुआ है क्योंकि उसी दिन लिखे गये आम मुख्त्याननामा पर भी मुख्त्यार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है फिर भी उसके आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति का आगे बेचान भी कर दिया गया है। यह भी कथन किया कि

लगातार.....4

इकरारनामा के अनुसार क्रेताओं ने प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया था। अतः यह सम्पत्ति हस्तान्तरण है, जिस पर अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची के क्रम संख्या 21 अनुसार स्टाम्प शुल्क देय है। मुख्त्यारनामा मात्र शुल्क अपवंचन हेतु लिखा गया है। अधिनियम की धारा 31 अनुसार भी यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Conveyance) नहीं हो तो इकरारनामे के आधार पर आगे उप क्रेता (Sub-purchaser)को विक्रय सीधे हो सकता है। इस प्रकरण में सम्पति का हस्तान्तरण दिंनाक 11.9.2002 को ही हो चुका था जो कि आगे के विक्रय विलेख दिनांक 18.7.2003 से बहुत पहले का है। अतः दोनों विक्रय अलग–अलग होने के कारण स्टाम्प शुल्क योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी ने निगरानी के तहत पारित आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार के रिव्यू/संशोधन के प्रावधान नहीं है। अतः उन्होनें दोनों विविध प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्व निर्णय दिनांक 02.05.2012 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 02.05.2012 का अवलोकन किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 02.05.2012 में परिशोधन/रिव्यू चाहा गया है। अतः सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार आवश्यक है कि संचेतन मस्तिष्क से दिये गये निर्णय में परिशोधन अथवा रिव्यू करने की शक्तियां राजस्थान मुद्रांक अधिनियम में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त है या नहीं ? परिशोधन में सामान्य तौर पर वो तथ्य आते है जो रिकार्ड से स्पष्ट भूल की श्रेणी के होते है।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ का निर्णय न्यायिक दृष्टान्त टैक्स अपडेट वोल्यूम–13 पार्ट–15 पृष्ठ 231 श्रीमती सुनीता काकाणी बनाम राजस्थान सरकार में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> **"Rajasthan Land Revenue Act, 1956, section 86, Indian Stamp Act 1999, section 47(A) and 56-General Clauses Act, section 32(ii)-While cojnsidering the prelmimnary objection raised by the Deputy Government Advocate to be proper and dismissing the review applications, the Rajasthan Tax Board held that :- Since there is no provisions to file review application under the Stamps Act, it is held that review application filed against the revision order under section 56 of the Indian Stamps Act is not maintaibalbe and therefore review applications are dismissed."**

लगातार.....5

न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 2186 डा. श्रीमती कुन्तेश गुप्ता बनाम मैनेजमेंट ऑफ हिन्दु कन्या महाविद्यालय, सीतापुरा में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

> **"It is now well established that a quasi judicial authority cannot review its own order unless the power of review is expressly conferred on it by the statute under which it derives its jurisdiction."**

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1956 (एस.सी.) 231 जे.के.आयरन एण्ड स्टील कं0 लिमिटेड बनाम दी आयरन एण्ड स्टील मजदूर युनियन, कानपुर में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

> "All the same, wide as their powers are, these Tribunals are not absolute, and there are limitations to the ambit of their authority.....**Their powers are derived from the statute that creates them and they have to function within the limits imposed there and to act according to its provisions.** Those provisions invest them with many of the trappings of a court and deprive them of arbitrary or absolute discretion and power."

चूंकि राजस्थान मुदांक अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत परिशोधन/रिव्यू करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। किसी एक अधिनियम के अन्तर्गत परिशोधन/रिव्यू के लिये प्रावधान उपलब्ध होने पर ही ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उप राजकीय अभिभाषक का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि निगरानी में अधिनियम की धारा 47(A) एवं 56 के तहत आदेश पारित हो जाने के पश्चात कर बोर्ड में रिव्यू/परिशोधन प्रार्थना पत्र के प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों विवधि प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं एवं मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा पूर्व पारित दोनों निर्णय दिनांक 02.05.2012 यथावत रखे जाते है।

आदेश सुनाया गया।

22.6.2016

(मदन लाल)
सदस्य